

प्रावचन

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का यह संस्करण द्विभाषी रूप में प्रकाशित किया जा रहा है। इस अधिनियम का अंग्रेजी पाठ और प्राधिकृत हिन्दी पाठ 1 फरवरी, 2011 तक अद्यतन है।

नई दिल्ली ;  
1 फरवरी, 2011

विनोद कुमार भरीन,  
सचिव, भारत सरकार।

# सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

## धाराओं का क्रम

धाराएं		पृष्ठ
	<b>अध्याय 1</b>	
	<b>प्रारम्भिक</b>	
1.	संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ .....	1
2.	परिभाषाएं .....	1
	<b>अध्याय 2</b>	
	<b>सूचना का अधिकार और लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं</b>	
3.	सूचना का अधिकार .....	3
4.	लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं .....	3
5.	लोक सूचना अधिकारियों का पदनाम .....	4
6.	सूचना अभिप्राप्त करने के लिए अनुरोध .....	5
7.	अनुरोध का निषेध .....	6
8.	सूचना के प्रकट किए जाने से छूट .....	7
9.	कतिपय मामलों में पट्टे के लिए अस्वीकृति के आधार .....	8
10.	पृथक्कारणीयता .....	8
11.	पर व्यक्ति सूचना .....	8
	<b>अध्याय 3</b>	
	<b>केन्द्रीय सूचना आयोग</b>	
12.	केन्द्रीय सूचना आयोग का गठन .....	9
13.	पदावधि और सेवा शर्तें .....	9
14.	सूचना आयुक्त या मुख्य सूचना आयुक्त का हटाया जाना .....	10
	<b>अध्याय 4</b>	
	<b>राज्य सूचना आयोग</b>	
15.	राज्य सूचना आयोग का गठन .....	11
16.	पदावधि और सेवा की शर्तें .....	12

	पृष्ठ
17. राज्य मुख्य सूचना अधिकारी या राज्य सूचना अधिकारी का हस्ताक्षर जाना अध्याय 5	13
<b>सूचना आयोगों की शक्तियाँ और कृत्य, अपील तथा शास्तियाँ</b>	
18. सूचना आयोगों की शक्तियाँ और कृत्य .....	13
19. अपील .....	14
20. शास्तियाँ .....	15
<b>अध्याय 6</b>	
<b>प्रकीर्ण</b>	
21. सन्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण .....	16
22. अधिनियम का अद्यतनीय प्रभाव होना .....	16
23. न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन .....	16
24. अधिनियम का कतिपय संगठनों को लागू न होना .....	16
25. मागीटर करना और रिपोर्ट करना .....	17
26. समुचित सरकार द्वारा कार्यक्रम तैयार किया जाना .....	17
27. नियम बनाने की समुचित सरकार की शक्ति .....	18
28. नियम बनाने की राक्षम प्राधिकारी की शक्ति .....	19
29. नियमों का रद्द होना .....	19
30. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति .....	19
31. निरस्तान .....	20
पहली अनुसूची .....	20
दूसरी अनुसूची .....	21

# सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

(2005 का अधिनियम संख्यांक 22)

[15 जून, 2005]

प्रत्येक लोक प्राधिकारी के कार्यकरण में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के संवर्धन के लिए, लोक प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों के सूचना के अधिकार की व्यावहारिक शासन प्रवृत्ति स्थापित करने, एक केन्द्रीय सूचना आयोग तथा राज्य सूचना आयोग का गठन करने और उनसे संबंधित या उनके आनुवंशिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत के संविधान ने लोकतंत्रात्मक शासन की स्थापना की है :  
और लोकतंत्र शिक्षित नागरिक वर्ग तथा ऐसी सूचना की पारदर्शिता की अपेक्षा करता है, जो उसके कार्यकरण तथा अप्रत्याश को देखने के लिए भी और सरकारों तथा उनके परिकरणों की शासन के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए अनिवार्य है :

और वास्तविक व्यवहार में सूचना के प्रकटन से संगत अन्य लोक हितों, जिनके अंतर्गत सरकारी के दस प्रचालन, सीमित राज्य वित्तीय संसाधनों के अधिकतम उपयोग और संवेदनाशील सूचना की गोपनीयता को बनाए रखना भी है, के साथ विरोध हो सकता है :

और लोकतंत्रात्मक शासन की प्रवृत्ति को बनाए रखते हुए इन विशेषी हितों के बीच सामंजस्य बनाना आवश्यक है :  
अतः, अब यह समीचीन है कि ऐसी नागरिकों को वर्तमान सूचना देने के लिए, जो उसी पाने के इच्छुक हैं, उपबंध किया जाए :

भारत सरकार को उम्मीद है कि यह संसद द्वारा विचारित रूप में यह अधिनियमित हो :-

## अध्याय 1

### प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ- (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 है :

(2) इसका विस्तार जम्मू और कश्मीर राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर है ।

(3) धारा 4 की उपधारा (1), धारा 5 की उपधारा (1) और उपधारा (2), धारा 12, धारा 13, धारा 15, धारा 16, धारा 24, धारा 27 और धारा 28 के उपबंध तुरंत प्रभावी होंगे और इस अधिनियम के शेष उपबंध इसके अधिनियमन के एक सौ बीसवें दिन को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएँ- इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

(क) "संयुक्त सरकार" से किसी ऐसी लोक प्राधिकरण के संदर्भ में जो -

(i) केन्द्रीय सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा स्थापित, गठित, उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई विधियों द्वारा सार्वभूत रूप से वित्तपोषित किया जाता है, केन्द्रीय सरकार अनिर्भर है ;

(ii) राज्य सरकार द्वारा स्थापित, गठित उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई विधियों द्वारा सार्वभूत रूप से वित्तपोषित किया जाता है, राज्य सरकार अनिर्भर है ;

(ख) "केन्द्रीय सूचना आयोग" से धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन गठित केन्द्रीय सूचना आयोग अनिर्भर है ;

## सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

--विषय सूची--

भाग	विवरण
1	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 अधिनियम
2	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 मार्गदर्शी दिशा-निर्देश
3	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 -सूचना की परिभाषा एवं आवेदन की प्रक्रिया
4	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 -छत्तीसगढ़ शासन के नियम एवं महत्वपूर्ण परिपत्र
5	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 -लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम एवं पदनाम

कार्यालय

नगर पालिक निगम, रायगढ़ (छ.ग.)

दूरभाष नं०-07762-222911 फ़ैक्स नं०-07762-222923

E-mail:-[nraigarh@ymail.com](mailto:nraigarh@ymail.com), website [www.nagarnigamraigarh.com](http://www.nagarnigamraigarh.com)

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005  
(अध्याय 1-प्रारंभिक 1)

(ग) "केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी" से उपास (1) के अधीन पदाभिहित केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत धारा 5 की उपास (2) के अधीन इस प्रकार पदाभिहित कोई केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी भी है ;

(घ) "मुख्य सूचना आयुक्त" और "सूचना आयुक्त" से धारा 12 की उपास (3) के अधीन नियुक्त मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त अभिप्रेत हैं ;

(ङ) "सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्रेत है--

(i) लोक सभा या किसी राज्य की विधान सभा की या किसी ऐसे सभ राज्यक्षेत्र की, जिसमें ऐसी सभा है, दशा में अध्यक्ष और राज्य सभा या किसी राज्य की विधान परिषद् की दशा में सभापति ;

(ii) उच्चतम न्यायालय की दशा में यात्रा का मुख्य न्यायमूर्ति ;

(iii) किसी राज्य न्यायालय की दशा में उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति ;

(iv) संविधान द्वारा या उसके अधीन स्थापित या गठित अन्य प्राधिकरणों की दशा में, यथास्थिति, संपूर्णता या सञ्चालन ;

(v) संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त प्रशासक ;

(च) "सूचना" से किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, आपन, ई-मेल, मत, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लागतुक, संविदा, रिपोर्ट, कामजपत्र, कानून, माडल, आंकड़ों संबंधी सामग्री और किसी प्राइवेट निकाय से संबंधित ऐसी सूचना सहित, जिस तक तत्काल प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी लोक प्राधिकारी की पहुंच हो सकती है, किसी रूप में कोई सामग्री अभिप्रेत है ;

(छ) "विहित" से, यथास्थिति, समुचित सरकार या सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(ज) "लोक प्राधिकारी" से

(क) संविधान द्वारा या उसके अधीन ;

(ख) संसद् द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा ;

(ग) राज्य विधान मंडल द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा ;

(घ) समुचित सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना या किए गए आदेश द्वारा, स्थापित या गठित कोई प्राधिकारी या निकाय या स्थापत संस्कारों द्वारा अभिप्रेत है,

और इसके अन्तर्गत,

(i) कोई ऐसा निकाय है जो समुचित सरकार के स्वाभिव्यक्त, नियंत्रणाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई विधियों द्वारा सार्वभूमि रूप से वित्तपोषित है ;

(ii) कोई ऐसा गैर-सरकारी संघतन है जो समुचित सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई विधियों द्वारा सार्वभूमि रूप से वित्तपोषित है ।

(ज) "अभिलेख" से निम्नलिखित सम्मिलित हैं--

(क) कोई दस्तावेज, पापट्टिलिपि और फाइल ;

(ख) किसी दस्तावेज की कोई माइक्रोफिल्म, माइक्रोफिले और प्रतिकृति प्रति ;

(ग) ऐसी माइक्रोफिल्म से संचालित प्रतिलिपि या प्रतिलिपियों का पुनरुत्पादन (बादे वर्णित रूप में ल या न हो) ; और

(घ) किसी कम्प्यूटर द्वारा या किसी अन्य युक्ति द्वारा उत्पन्नित कोई अन्य सामग्री ;

(अध्याय 1 प्रारंभिक । अध्याय 2-सूचना का अधिकार और लोक प्राधिकारियों की वाध्यताएं )

(अ) "सूचना का अधिकार" से इस अधिनियम के अधीन प्रद्वेय योग्य सूचना का, जो किसी लोक प्राधिकारी द्वारा या उसके नियंत्रणाधीन धारित है, अधिकार अभिप्रेत है और जिसमें निम्नलिखित का अधिकार सम्मिलित है-

- (i) कृति, दस्तावेजों, अभिलेखों का निरीक्षण ;
- (ii) दस्तावेजों या अभिलेखों के विषयण, उद्धरण या प्रमाणित प्रतिलिपि लेना ;
- (iii) सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना ;

(iv) डिस्कॉप, फ्लॉपी, टेप, वीडियो कैसेट के रूप में या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक शक्ति में या प्रिंटाउट के माध्यम से सूचना को, जहां ऐसी सूचना किसी कम्प्यूटर या किसी अन्य युक्ति में भण्डारित है, अभिप्राप्त करना ;

(ब) "राज्य सूचना आयोग" से धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन गठित राज्य सूचना आयोग अभिप्रेत है ;

(द) "राज्य मुख्य सूचना आयुक्त" और "राज्य सूचना आयुक्त" से धारा 15 की उपधारा (3) के अधीन नियुक्त राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त अभिप्रेत है ;

(इ) "राज्य लोक सूचना अधिकारी" से उपधारा (1) के अधीन पदाभिहित राज्य लोक सूचना अधिकारी अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन उस रूप में पदाभिहित राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी भी है ;

(ए) "पर व्यक्ति" से सूचना के लिए अनुरोध करने वाले, नागरिक से विना कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत कोई लोक प्राधिकारी भी है ;

#### अध्याय 2

#### सूचना का अधिकार और लोक प्राधिकारियों की वाध्यताएं

3. सूचना का अधिकार इस अधिनियम के तपनर्चा के अधीन रहने हुए, सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार होगा ।

4. लोक प्राधिकारियों की वाध्यताएं (1) प्रत्येक लोक प्राधिकारी-

(क) अपने सभी अभिलेखों को सम्यक रूप से सूचीबद्ध और अनुक्रमणिकाबद्ध ऐसी शक्ति और रूप में रखेगा, जो इस अधिनियम के अधीन सूचना का अधिकार को सुकर बनाता है और सुनिश्चित करेगा कि ऐसे सभी अभिलेख, जो कम्प्यूटरीकृत किए जाने के लिए समुचित हैं, सुविधयुक्त समय के भीतर और ससाधनों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए, कम्प्यूटरीकृत और विभिन्न प्रणालियों पर संपूर्ण देश में नेटवर्क के माध्यम से सज्जद है जिससे कि ऐसे अभिलेख तक पहुंच को सुकर बनाया जा सके ;

(ख) इस अधिनियम के अधिनियमन से एक ही वीस दिन के भीतर-

- (i) अपने संरक्षण की विशिष्टियां, कृत्य और कार्य ;
- (ii) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कार्य ;
- (iii) धोनाश्रय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है ;

(iv) अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मानदंड ;

(v) अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोज किए गए नियम, विधियां, अनुरोध, निर्देशिका और अभिलेख ;

(vi) ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं, प्रवर्गों का विवरण ;

(vii) किसी अवस्था की विशिष्टियां, जो उसकी नीति की सरचना या उसके कार्यान्वयन के समय में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है ;

अध्याय 2 सूचना का अधिकार और लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं

(viii) ऐसी बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के, जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भागस्व में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवाहक तक जनता की पहुंच होगी, विवरण ;

(ix) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका ;

(x) अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसके अन्तर्गत प्रतिकर का प्रणाली भी है, जो उसके विनियमों में गण्यत्वपर्वित हो ;

(xi) सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गए संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियां, उपस्थापित करते हुए अपने प्रत्येक अधिकरण को आबंटित बजट ;

(xii) सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पत्तन की रीति जिसमें आबंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाप्राप्तियों के बारे में सम्मिलित हैं ;

(xiii) अपने द्वारा अनुदान रियासतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राधिकारियों की विशिष्टियां ;

(xiv) किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में सूचना के संबंध में जारी जो उसको उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हों ;

(xv) सूचना अभिप्राय करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां, जिनमें किसी पुस्तकालय या वाहन अथवा अन्य कोई लोक उपयोग के लिए अनुसूचित हैं तो, कार्यक्रमण घटे सम्मिलित हैं ;

(xvi) लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां ;

(xvii) ऐसी अन्य सूचना, जो विहित की जाए,

प्रकाशित करेगा और तत्पश्चात् इन प्रकाशनों को प्रत्येक वर्ष में अद्यतन करेगा ;

(ग) महत्वपूर्ण नीतियों की विवरणा वन्तो सम्य या ऐसे विवरणों की घोषणा करते समय, जो जनता को प्रभावित करते हों, सभी सुरागत तत्वों को प्रकाशित करेगा ;

(घ) प्रभावित व्यक्तियों को अपने प्रशासनिक या न्यायिककृत्य विविधियों के लिए कारण उपलब्ध कराएगा ।

(2) प्रत्येक लोक अधिकारी का निरंतर यह प्रयास होगा कि वह अध्याय (1) के खंड (ख) की अपेक्षाओं के अनुसार स्वप्रेरणा से, जनता को नियमित अन्तसत्तों पर संसूचना के विभिन्न साधनों के माध्यम से, जिनके अन्तर्गत इंटरनेट भी है, इतनी अधिक सूचना उपलब्ध कराने के लिए उपाय करे जिससे कि जनता को सूचना प्राप्त करने के लिए इस अधिनियम का काम से कम अवसर लेना पड़े ।

(3) अध्याय (1) के प्रयोजन के लिए, प्रत्येक सूचना को निरसृत रूप से और ऐसे प्रसन्न और रीति में प्रसारित किया जाएगा, जो जनता के लिए सार्वज रूप से पहुंच योग्य हो ।

(4) सभी सामग्री को, लागत प्रभावशीलता, स्थानीय भाषा और उस क्षेत्र में संसूचना की अत्यंत प्रभावी पद्धति को ध्यान में रखते हुए प्रसारित किया जाएगा तथा सूचना, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के पास इलेक्ट्रॉनिक रूप में संगत सीमा तक निःशुल्क या माध्यम की ऐसी लागत पर या ऐसी मुद्रण लागत कीमत पर जो विहित की जाए, सहज रूप से पहुंच योग्य होनी चाहिए ।

स्पष्टीकरण—अध्याय (3) और अध्याय (4) के प्रयोजनों के लिए, "प्रसारित" से सूचना पट्टी, समाचारपत्रों, लोक उद्घोषणाओं, मीडिया प्रसारणों, इंटरनेट या किसी अन्य माध्यम से, जिसमें किसी लोक प्राधिकारी के कार्यालयों का विशेषण सम्मिलित है, जनता को सूचना की जानकारी देना या संसूचित कतना अभिप्रेत है ।

5. लोक सूचना अधिकारियों का पदनाम—(1) प्रत्येक लोक प्राधिकारी, इस अधिनियम के अधिनियमन के ती दिन के भीतर सभी प्रशासनिक एककों या उसके अधीन कार्यालयों में, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों या राज्य लोक सूचना अधिकारियों के रूप में उतने अधिकारियों को अभिहित करेगा, जितने इस अधिनियम के अधीन सूचना के लिए अनुसूचित करने वाले व्यक्तियों को सूचना प्रदान करने के लिए आवश्यक हों ।



(2) उपधारा (1) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रत्येक लोक प्राधिकारी, इस अधिनियम के अधिनियम के री दिव के भीतर किसी अधिकारी को प्रत्येक उपमंडल स्तर या अन्य उप जिला स्तर पर यथास्थिति, केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या किसी राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी के रूप में इस अधिनियम के अधीन सूचना के लिए आवेदन या अपील प्राप्त करने और उसे तत्काल, यथास्थिति, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट वरिष्ठ अधिकारी या केंद्रीय सूचना आयोग जहां राज्य सूचना आयोग को रखने के लिए परामर्शित करेगा :

परंतु यह कि जहां सूचना या अपील के लिए कोई आवेदन, यथास्थिति, किसी केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या किसी राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी को दिया जाता है, वहां धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट उत्तर के लिए अवधि की समाप्ति करने में पांच दिन की अवधि जोड़ दी जाएगी ।

(3) यथास्थिति, प्रत्येक केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, सूचना की मांग करने वाले व्यक्तियों में अनुरोधों पर कार्रवाई करेगा और ऐसी सूचना की मांग करने वाले व्यक्तियों को मुक्तिपुस्तक सहायता प्रदान करेगा ।

(4) यथास्थिति, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, ऐसे किसी अन्य अधिकारी की सहायता की मांग कर सकेगा, जिसे वह अपने कृत्यों के समुचित निर्वहन के लिए आवश्यक समझे ।

(5) कोई अधिकारी, जिसकी उपधारा (4) के अधीन सहायता वाली गई है, उसकी सहायता चाहने वाले यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को सभी सहायता प्रदान करेगा और इस अधिनियम के उपबन्धों के किसी उल्लंघन के प्रयोजनों के लिए ऐसे अन्य अधिकारी को, यथास्थिति, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी समाप्त जाएगा ।

6. सूचना अभिप्राप्त करने के लिए अनुरोध (1) काई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन कोई सूचना अभिप्राप्त करना चाहता है, लिखित में या इलेक्ट्रॉनिक युक्ति के माध्यम से अंग्रेजी या हिन्दी में या उस क्षेत्र की, जिसमें आवेदन किया जा रहा है, संजमाथा में ऐसी भास के साथ, जो लिखित की जाए--

(क) संबंधित लोक प्राधिकरण को, यथास्थिति, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी ;

(ख) यथास्थिति, केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी, को उसके द्वारा मानी गई सूचना की विशिष्टियां विनिर्दिष्ट करते हुए अनुरोध करेगा ;

परंतु जहां ऐसा अनुरोध लिखित में नहीं किया जा सकता है, वहां, यथास्थिति, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति को सभी मुक्तिपुस्तक सहायता मौखिक रूप से देगा, जिससे वह उसे समझना किंवा जा सके ;

(3) सूचना के लिए अनुरोध करने वाले आवेदक से सूचना का अनुरोध करने के लिए किसी कारण को या किसी अन्य व्यक्तिगत लक्ष्य को, सिवाय उसके जो उससे सम्बन्ध करने के लिए आवश्यक हो, देने की अपेक्षा नहीं की जाएगी ।

(4) जहां, कोई आवेदन किसी लोक प्राधिकारी को किसी ऐसी सूचना के लिए अनुरोध करते हुए किया जाता है--

(i) जो किसी अन्य लोक प्राधिकारी द्वारा पारित है ; या

(ii) जिसका विषय-वस्तु किसी अन्य लोक प्राधिकारी के कृत्यों से अधिक निकट रूप से संबंधित है,

तब, वह लोक प्राधिकारी, जिसको ऐसा आवेदन किया जाता है, ऐसे आवेदन या उसके ऐसे भाग को, जो समुचित हो, उस अन्य लोक प्राधिकारी को अंतरित करेगा और ऐसे अंतरण के बारे में आवेदक को तुरंत सूचना देगा ;

परंतु यह कि इस उपधारा के अनुसरण में किसी आवेदन का अंतरण यथासंभव शीघ्रता से किया जाएगा, किंतु किसी भी दशा में आवेदन की प्रतिलिपी तारीख से पांच दिनों की परवाह नहीं किया जाएगा ।

7. अनुरोध का निपटारा (1) धारा 5 की उपधारा (2) के परंतुक या धारा 6 की उपधारा (3) के परंतुक के अधीन रहते हुए, धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर, यथास्थिति, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, यथासंगतवशीयता से, और किसी भी देश में अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसी फॉस के संवाय पर जो विहित की जाए, या जो सूचना उपलब्ध करायें या धारा 8 और धारा 9 में विनिर्दिष्ट कल्पना में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा :

परंतु जहां मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वातंत्रता से है, वहां वह अनुरोध प्राप्त होने के अंत्यतमोस घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी ।

(2) यदि, यथास्थिति, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना के लिए अनुरोध पर विनियम्य करने में असफल रहता है तो, यथास्थिति, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने अनुरोध को नामंजूर कर दिया है ।

(3) जहां, सूचना उपलब्ध कराने की लागत के रूप में किसी और फीस के संवाय पर सूचना उपलब्ध कराने का विनियम्य किया जाता है, वहां यथास्थिति, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति को :-

(क) उसके द्वारा यथाअनुमतित सूचना उपलब्ध कराने की लागत के रूप में और फीस के ब्यौरे, जिनके साथ उपधारा (1) के अधीन विहित फीस के अनुसार रकम निकालने के लिए की गई संगणनाएं होंगी, देते हुए उससे उस फीस को जमा करने का अनुरोध करते हुए कोई संसूचना मेलेया और उक्त संसूचना के प्रेषण और फीस के संवाय के बीच मध्यवर्ती अवधि को उस धारा में विहित तीस दिन की अवधि की संगणना करने के प्रयोग के लिए अपवर्जित किया जाएगा ;

(ख) प्रचलित फीस की रकम या उपलब्ध कराई गई पदुन के प्ररूप के बारे में, जिसके अंतर्गत अधील प्राधिकारी की विधिभित्ता, समय-सीमा, प्रक्रिया और कोई अन्य प्ररूप भी हैं, विनियम्य करने का पुनर्विलोकन करने का संवाय में उसकी अधिकार से सम्बंधित सूचना देते हुए, कोई संसूचना मेलेया ।

य, जहां, इस अधिनियम के अधीन अधिलेख या उसके किसी भाग तक पदुन अधोक्षित है और ऐसा व्यक्ति, विरुद्ध पदुन उपलब्ध कराई जाती है, तबदेवतात्मक रूप से निराकत है, वहां यथास्थिति, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी सूचना तक पदुन को समर्थ बनाने के लिए सहायता उपलब्ध करायें, जिससे विशेषण के लिए ऐसी सहायता कल्पना भी सम्बंधित है, जो सम्बुधित हो ।

(5) जहां, सूचना तक पदुन मूंदता या किसी दृतेकदृष्टिक सम्बंधित में उपलब्ध कराई जाती है, वहां आवेदक, उपधारा (4) के अधीन रहते हुए, ऐसी फीस का संवाय करेगा, जो विहित की जाए :

परंतु धारा 6 की उपधारा (1) और धारा 7 की उपधारा (1) और उपधारा (5) के अधीन विहित फीस पुनःसूचना होगी और ऐसे व्यक्तियों से, जो गरीबी की रेखा के नीचे हैं, जहां सम्बुधित सरकार द्वारा अय्यारित किया जाए, कोई फीस प्रचालित नहीं की जाएगी ।

(6) उपधारा (5) में किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई लोक प्राधिकारी उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट समय-सीमा का अनुपालन करने में असफल रहता है, वहां सूचना के लिए अनुरोध करने वाले व्यक्ति को प्रचार के बिना सूचना उपलब्ध कराई जाएगी ।

(7) उपधारा (1) के अधीन कोई विनियम्य करने से पूर्व, यथास्थिति, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी धारा 11 के अधीन पर व्यक्ति द्वारा किए गए अय्यारित को ध्यान में रखेगा ।

(8) जहां, किसी अनुरोध को उपधारा (1) के अधीन अस्वीकृत किया गया है, वहां, यथास्थिति, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति को :-

(i) ऐसी अस्वीकृति के लिए कारण ;

(ii) यह अवधि, जिसके भीतर ऐसी अस्वीकृति के विरुद्ध कोई अधील की जा सकेगी ; और

(iii) अधील प्राधिकारी की विधिभित्ता,

सम्बुधित करेगा ।

अध्याय 2--सूचना का अधिकार और लोक प्राधिकारियों की बाधताएं ॥

(9) किसी सूचना को साधारणतया उसी प्ररूप में उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें उसे मांगा गया है, जब तक कि यह लोक प्राधिकारी के स्रोतों को अनुप्राप्ती रूप से विफल न करता हो या प्रश्नगत अभिलेख की सुरक्षा या संरक्षण के प्रतिकूल न हो।

8. सूचना के प्रकट किए जाने से छूट (1) इस अधिनियम में अंतर्निहित किसी बात के होते हुए भी, किसी न्यायिक को नियंत्रित सूचना देने की बाधता नहीं होगी -

(क) सूचना, जिसका प्रकटन से भारत की प्रभुता और अखण्डता, राज्य की सुरक्षा, रणनीति, वैज्ञानिक या आर्थिक हित, विदेश से संबंध पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो या किसी अपराध को करने का उद्योग होता हो;

(ख) सूचना, जिसका प्रकाशन को किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा अभिव्यक्त रूप से निषिद्ध किया गया है या जिसका प्रकटन से न्यायालय का अवधान होता है;

(ग) सूचना, जिसका प्रकटन से संसद या किसी राज्य के विधान मंडल के विशेषाधिकार का भंग कारित होगा;

(घ) सूचना, जिसमें व्यक्तिगत विश्वास, व्यापार गोपनीयता या धार्मिक संपदा सम्मिलित है, जिसके प्रकटन से किसी पर व्यक्ति की प्रतिव्यक्ति स्थिति को नुकसान होता है, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना के प्रकटन से विस्तृत लोक हित का समर्थन होता है;

(ङ) किसी व्यक्ति को उसकी वैश्वसिक गतिविधियों में उपलब्ध सूचना, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना के प्रकटन से विस्तृत लोक हित का समर्थन होता है;

(च) किसी विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त सूचना;

(छ) सूचना जिसका प्रकट करना किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरे में डालेगा या जो विधि प्रवर्तन या सुरक्षा प्रयोजनों के लिए विश्वास में रखी गई किसी सूचना या सहायता के स्रोत की पहचान करेगा;

(ज) सूचना, जिससे अपराधियों के अन्वेषण, पकड़े जाने या अभियोजन की प्रक्रिया में अडचन पड़ेगी;

(झ) मंत्रिमंडल के कामकाज, जिसमें मंत्रिपरिषद्, सचिवालय और अन्य अधिकारियों के विचार-विमर्श के अभिलेख सम्मिलित हैं;

परन्तु यह कि मंत्रिपरिषद् के विनिश्चय, उनका कारण तथा यह सामग्री, जिसके आधार पर विनिश्चय किए गए थे, विनिश्चय किए जाने और विषय के पूरा या समाप्त होने के परन्तु जनता को उपलब्ध कराए जा सकें।

परन्तु यह और भी के विषय, जो इस धारा में निर्दिष्ट छूटों के अंतर्गत आते हैं, प्रकट नहीं किए जाएंगे;

(3) सूचना, जो व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है, जिसका प्रकटन किसी लोक क्रियाकलाप या हित से संबंध नहीं रखता है या जिससे व्यक्ति की एकता पर अनावश्यक अतिक्रमण होगा, जब तक कि, यथास्थिति, केंद्रीय लोक सूचना आधिकारी या राज्य लोक सूचना आधिकारी या अपील प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना का प्रकटन विस्तृत लोक हित में व्यापकित है;

परन्तु ऐसी सूचना के लिए, जिसका, यथास्थिति, संसद या किसी राज्य विधान-मंडल को देने से इंकार नहीं किया जा सकता है, किसी व्यक्ति को इंकार नहीं किया जा सकेगा।

(2) शासकीय मुक्त बात अधिनियम, 1923 (1923 का 19) में, अध्याय (1) के अनुसार अनुसूची किसी छूट में किसी बात के होते हुए भी, किसी लोक प्राधिकारी को सूचना तक पहुंचाने अनुप्राप्ती की जा सकेगी, यदि सूचना के प्रकटन में लोक हित, संरक्षित हितों को नुकसान से अधिक है।

(3) अध्याय (1) के खण्ड (क), खंड (ग) और खण्ड (अ) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी ऐसी घटना, घटना या विषय से संबंधित कोई सूचना, जो उस तारीख से, जिसको धारा 8 के अधीन कोई अनुसूची किया जाता है, बीस वर्ष पूर्व प्रकट हुई थी या हुआ था, उस धारा के अधीन अनुसूची करने वाले किसी व्यक्ति को उपलब्ध कराई जाएगी।

परन्तु यह कि जहां उस अधिनियम के तहत, जिससे बीस वर्ष की उम्र अथवा उसी संगणित किया जाता है, कोई प्रश्न उत्पन्न होता है, वहां इस अधिनियम में उसके लिए उपबंधित प्राविक अर्थात् रहते हुए केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।

9. कतिपय मामलों में पट्टन के लिए अस्वीकृति के आधार-भाग 8 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यथास्थिति कोई क्षेत्रीय लोक सूचना अधिकारी या कोई राज्य लोक सूचना अधिकारी सूचना के किसी अनुरोध को बंध प्रकटित कर सकेगा, जहां पट्टन उपलब्ध करने के लिए ऐसा अनुरोध राज्य से बिना किसी व्यक्ति के अस्तित्वपूर्ण प्रतिनिधित्वितर जो उपलब्ध आता/रिक्त करेगा।

10. पृथक्करण-नीयता--(1) जहां सूचना तक पहुंच के अनुरोध को इस आधार पर अस्वीकार किया जाता है कि वह ऐसी सूचना के तब से है, जो प्रकट किए जाने से छुट प्राप्त है, वहां इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, पट्टन अभिलेख के उस भाग तक उपलब्ध करवाई जा सकेगी जिसमें कोई ऐसी सूचना अन्तर्भूत नहीं है, जो इस अधिनियम के अधीन प्रकट किए जाने से छुट प्राप्त है और जो किसी ऐसी भाग से, जिसमें छुट प्राप्त सूचना अन्तर्भूत है, मुक्तियुक्त रूप से पृथक् की जा सकती है।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन अभिलेख के किसी भाग तक पहुंच अनुरोध की जाती है, वहां, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी निम्नलिखित सूचना देते हुए आवेदन को एक सूचना देगा कि—

(क) अनुरोध किए गए अभिलेख का केवल एक भाग ही उस अभिलेख से उस सूचना को, जो प्रकटन से छुट प्राप्त है पृथक् करने के पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है; या

(ख) विनिश्चय के लिए कठोर चिन्तन अवसिक्त तथा के किसी महत्वपूर्ण प्रश्न पर उस सामग्री के प्रति, जिस पर न निष्कर्ष आया/रिक्त है, निर्देश करते हुए कोई निष्कर्ष भी है।

(ग) विनिश्चय करने वाले व्यक्ति का नाम और पता/भाग।

इस प्रकार द्वारा सम्बंधित प्रश्न को स्पष्ट और सीधे की बात उभार जिसकी आवश्यक से विशेष करने की अपेक्षा की जाती है, और

ऐसी सूचना के भाग को प्रकट न किए जाने के तब से विनिश्चय के पूर्वनिर्णयन के तहत में उसके अधिकार, प्रभावित किरत की रक्षण या उपलब्ध कराना गया पट्टन का प्रत्येक, जिसके अन्तर्गत, यथास्थिति, भाग 19 की उपधारा (1) के अधीन विनिश्चय करके अधिकारी या केन्द्रीय सूचना अधिकारी या राज्य सूचना अधिकारी को विनिश्चय, समय-समय, प्रकिया और कोई अन्य पट्टन का प्रकट भी है।

11. पर व्यक्ति सूचना (1) जहां, यथास्थिति, किसी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को, इस अधिनियम के अधीन किए गए अनुरोध पर कोई ऐसी सूचना या अभिलेख या उसके किसी भाग को प्रकट करने का आदेश है, जो किसी पर व्यक्ति से सम्बंधित है या उसके द्वारा दायता प्रदाय किया गया है और उस पर व्यक्ति द्वारा उसे क्षेत्रीय भाग गया है, जहां, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध प्राप्त होने से पूर्व दिन के भीतर, ऐसे पर व्यक्ति को अनुरोध की और इस तथ्य की विहित रूप में सूचना देगा कि, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी का उक्त सूचना या अभिलेख या उसके किसी भाग को प्रकट करने का आदेश है, और इस तहत में कि सूचना प्रकट की जानी चाहिए या नहीं, विहित में या मौखिक रूप से निवेदन करने के लिए पर व्यक्ति को आर्षित करेगा तथा सूचना के प्रकटन के तहत में कोई विनिश्चय करते समय पर व्यक्ति के ऐसे निवेदन को ध्यान में रखा जाएगा।

परन्तु किंतु द्वारा सार्वजनिक आधार या आर्थिक/वैयक्तिक मुक्त बातों की दशा में के विनाय, यदि ऐसे प्रकटन में लोकाहित, ऐसे पर प्रकटन के विरोध की किसी सम्बंधित आधारों या तहत से अधिक महत्वपूर्ण है तो प्रकटन अनुसृत किया जा सकेगा।

(2) जहां उपधारा (1) के तहत, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा पर व्यक्ति पर किसी सूचना या अभिलेख या उसके किसी भाग के तहत में किसी सूचना की तथीस की जाती है, वहां ऐसे पर व्यक्ति को, एसी सूचना को आर्षित की तथीस से पूर्व दिन के भीतर प्रस्तावित प्रकटन के विरुद्ध अप्यावेदन करने का आदेश दिया जाएगा।

(3) भाग 7 में किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी पट्टन को अधीन अनुरोध प्राप्त होने के पर्याप्त तथीस दिन के भीतर यदि पर व्यक्ति को उपधारा (2) के अधीन अप्यावेदन करने का आदेश दे दिया गया है, तो इस तहत में विनिश्चय करेगा कि उक्त सूचना या अभिलेख या उसके भाग का प्रकटन किया जाए या नहीं और अपने विनिश्चय की सूचना विहित में पर व्यक्ति को देगा।

(4) उपधारा (3) के अधीन ही कोई सूचना में यह कथन भी सम्बंधित होगा कि वह पर व्यक्ति, जिसे सूचना दी गई है, भाग 11 के अधीन उक्त विनिश्चय के विरुद्ध अपील करने का हक्कार है।

### केन्द्रीय सूचना आयोग

12. केन्द्रीय सूचना आयोग का गठन--(1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, केन्द्रीय सूचना आयोग के नाम से ज्ञात एक निकाय का गठन करेगी, जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करेगा, जो उसे इस अधिनियम के अधीन सौंपे जाएं।

(2) केन्द्रीय सूचना आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा--

(क) मुख्य सूचना आयुक्त; और

(ख) दस से अनधिक उपाधी संख्या में केन्द्रीय सूचना आयुक्त, जितने आवश्यक समझे जाएं।

(3) मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति, राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित से मिलानर बनी समिति की सिफारिश पर की जाएगी--

(i) प्रधानमंत्री, जो समिति का अध्यक्ष होगा;

(ii) लोक सभा में विपक्ष का नेता; और

(iii) प्रधानमंत्री द्वारा नामनिर्दिष्ट संघ मंत्रिमण्डल का एक मंत्री।

**स्पष्टीकरण--**शंकाओं के निवारण के प्रयोजन के लिए यह घोषित किया जाता है कि जहां लोक सभा में विपक्ष के नेता को उस सभा में मान्यता नहीं दी गई है, वहां लोक सभा में सरकार के विपक्षी एकल सबसे बड़े समूह के नेता को विपक्ष का नेता समझा जाएगा।

(4) केन्द्रीय सूचना आयोग के कार्यों का साधारण अधीक्षण, निदेशन और प्रबंधन, मुख्य सूचना आयुक्त से निहित होगा, जिसकी सहायता सूचना आयुक्तों द्वारा की जाएगी और वह ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे सभी कार्य और बातें कर सकेगा, जिनका केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा स्वतंत्र रूप से इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य प्राधिकारी के निदेशों के अधीन रहे बिना प्रयोग किया जा सकता है या जो की जा सकती है।

(5) मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त विधि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंध, पत्रकारिता, जनसंपर्क माध्यम या प्रशासन तथा शासन का व्यापक ज्ञान और अनुभव रखने वाले जनजीवन में प्रख्यात व्यक्ति होंगे।

(6) मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त, ग्यास्थिति, संसद का सदस्य या किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के विधान मंडल का सदस्य नहीं होगा या कोई अन्य लाभ का पद धारित नहीं करेगा या किसी राजनैतिक पक्ष से संबद्ध नहीं होगा अथवा कोई कारबार नहीं करेगा या कोई दृष्टि नहीं करेगा।

(7) केन्द्रीय सूचना आयोग का मुख्यालय, दिल्ली में होगा और केन्द्रीय सूचना आयोग, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, भारत में अन्य स्थानों पर कार्यालय स्थापित कर सकेगा।

13. पदावधि और सेवा शर्त--(1) मुख्य सूचना आयुक्त, उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

परन्तु यह कि, कोई मुख्य सूचना आयुक्त पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् उस सभ में पद धारण नहीं करेगा।

(2) प्रत्येक सूचना आयुक्त, उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, पांच वर्ष की अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा और ऐसे सूचना आयुक्त के सभ में पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

परन्तु प्रत्येक सूचना आयुक्त, इस उपाचार के अधीन अपना पद रिक्त करने पर, धारा 12 की उपधारा (3) में निम्नलिखित शर्तों से मुख्य सूचना आयुक्त को सभ में नियुक्ति के लिए पात्र होगा।

परन्तु यह और कि जहां सूचना आयुक्त को मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है वहां उसकी पदावधि सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में कुल मिलाकर पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(3) मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त, अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस निश्चित प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को समझ, पहली अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त प्रश्न के अनुसार एक शपथ या प्रतिज्ञान लेना और उस पर हस्ताक्षर करेगा।

(4) मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त, किसी भी समय, राष्ट्रपति को संतोषित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा।

परन्तु मुख्य सूचना आयुक्त या किसी सूचना आयुक्त को धारा 14 में विनिर्दिष्ट शक्ति से हटाया जा सकेगा।

(5) सदैव वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य विवरण और शर्तें-

(क) मुख्य सूचना आयुक्त की वही होगी, जो मुख्य निबंधन आयुक्त की है;

(ख) सूचना आयुक्त की वही होगी, जो निबंधन आयुक्त की है।

परन्तु यदि मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त, अपनी नियुक्ति के समय, भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी पूर्व सेवा के संबंध में कोई पेंशन, आगतता या क्षति पेंशन से गिन, प्राप्त कर रहा है तो मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त के रूप में सेवा के संबंध में उसके वेतन में से, उस पेंशन की, जिसके अंतर्गत पेंशन का ऐसा कोई भाग, बिना संश्लेषित किया गया था और सेवानिवृत्ति उपदान के समतुल्य पेंशन को छोड़कर, सेवानिवृत्ति फायदों के अन्य स्वी के समतुल्य पेंशन भी है, रकम को कम कर दिया जाएगा।

परन्तु यह और कि यदि मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त, अपनी नियुक्ति के समय, किसी केंद्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी विभाग में या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वायत्तकर्मियों या नियंत्रणधीन किसी सरकारी कंपनी में की गई किसी पूर्व सेवा के संबंध में सेवानिवृत्ति फायदा प्राप्त कर रहा है तो मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त के रूप में सेवा के संबंध में उसके वेतन में से, सेवानिवृत्ति फायदों के समतुल्य पेंशन की रकम को कम कर दी जाएगी।

परन्तु यह भी कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तों में उसकी नियुक्ति के परन्तु उसके अलावाकर रूप में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

(6) केंद्रीय सरकार, मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों को उतने अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध करवाएगी, जितने इस अधिनियम के अधीन उनके कृत्यों के इस पालन के लिए आवश्यक हों और इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए नियुक्त किए गए अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को सदैव वेतन और भत्ते तथा सेवा के विवरण और शर्तें ऐसी होंगी, जो विहित की जाएं।

14. सूचना आयुक्त या मुख्य सूचना आयुक्त का हटाया जाना--(1) उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, मुख्य सूचना आयुक्त या किसी सूचना आयुक्त को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा साबित कटाचार या असमर्थता के आधार पर उसके पद से तगी हटाया जाएगा, जब उच्चतम न्यायालय ने, राष्ट्रपति द्वारा उसे किए गए किसी निर्देश पर जान के परन्तु यह शिरोटे की हो कि, यथास्थिति, मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त को उस आधार पर हटा दिया जाना चाहिए।

(2) राष्ट्रपति, उस मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त को, जिसके विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन उच्चतम न्यायालय को निर्देश किया गया है, ऐसे निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की शिफ्ट प्राप्त होने पर राष्ट्रपति द्वारा आदेश पारित किए जाने तक पद से निलंबित कर सकेगा और यदि आवश्यक समझे तो, जान के दौरान कार्यलय में उपस्थित होने से भी प्रतिबन्धित कर सकेगा।

(3) उपधारा (1) में अंतर्भूत किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति, मुख्य सूचना आयुक्त या किसी सूचना आयुक्त को आदेश द्वारा पद से हटा सकेगा, यदि, यथास्थिति, मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त--

(क) दिवालिवा न्यायनिर्णीत किया गया है; या

(ख) वह ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है, जिसमें राष्ट्रपति की राय में, नैतिक अधमता अन्तर्लित है ; या

(ग) अपनी पदावधि के दौरान, अपने पद के कर्तव्यों से परे किसी वैतनिक नियोजन में लगा हुआ है ; या

(घ) राष्ट्रपति की राय में, मानसिक या शारीरिक अक्षमता के कारण पद पर बने रहने के अयोग्य है ; या

(ङ) उसने ऐसे वित्तीय और अन्य हित अर्जित किए हैं, जिनसे मुख्य सूचना आयुक्त या किसी सूचना आयुक्त के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है ।

(4) यदि मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त, किसी प्रकार भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से की गई किसी संबद्ध या कक्ष से संबद्ध या उसमें हितबद्ध है या किसी निर्गमित कंपनी के किसी सदस्य के रूप में से अन्वया और उसके अन्य सदस्यों के साथ सामान्यतः उसके लाभ में या उससे प्रोद्भूत होने वाले किसी फायदे या परित्यक्तियों में हिस्सा लेता है तो वह, उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, कदाचार का दोषी समझा जाएगा ।

#### अध्याय 4

#### राज्य सूचना आयोग

15. राज्य सूचना आयोग का गठन--(1) प्रत्येक राज्य सरकार राज्यपत्र में अधिसूचना द्वारा..... (राज्य का नाम) सूचना आयोग के नाम से ज्ञात एक निकाय का गठन करेगी, जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करेगा, जो उसी इस अधिनियम के अधीन सौंपे जाए ।

(2) राज्य सूचना आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा :-

(क) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त ; और

(ख) दस से अनधिकृत, उतनी संख्या में राज्य सूचना आयुक्त, जितने आवश्यक समझे जाएं ।

(3) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राज्यापाल द्वारा निम्नलिखित से मिलकर बनी किसी समिति की सिफारिश पर की जाएगी :-

(i) मुख्यमंत्री, जो सविधि का अध्यक्ष होगा ;

(ii) विधान सभा में विपक्ष का नेता ; और

(iii) मुख्यमंत्री द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला मंत्रिमंडल का सदस्य ।

राष्ट्रीकरण-समाप्ति को दूर करने के प्रयोजनों के लिए यह घोषित किया जाता है कि जहां विधान सभा में विपक्षी दल के नेता को उस रूप में प्राथमता नहीं दी गई है, वहां विधान सभा में सरकार के विपक्षी एकल सबसे बड़े समूह के नेता को विपक्षी दल का नेता समझा जाएगा ।

(4) राज्य सूचना आयोग के कार्यों का साधारण आधीक्षण, निदेशन और प्रबंध राज्य मुख्य सूचना आयुक्त में निहित होगा, जिसकी राज्य सूचना आयुक्तों द्वारा सहायता की जाएगी और वह सभी ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा और सभी ऐसे कार्य और बातें कर सकेगा जो राज्य सूचना आयोग द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य प्राधिकारी के निदेशों के अधीन रहे किन्तु स्वतंत्र रूप से प्रयोग की जा सकती है या की जा सकती है ।

(5) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त विधि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाजसेवा, प्रबंध, पत्र-पत्रिका, जनसंपर्क माध्यम या प्रशासन और शासन में व्यापक ज्ञान और अनुभव वाले समाज में प्रख्यात व्यक्ति होंगे ।

(6) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त, पत्राचारविधि, सहायक या सदस्य या किसी राज्य या क्षेत्र स्तरीय सूचना आयोग के विधान सभाले सदस्य नहीं होंगे या कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेंगे या किसी राजनयनिक दल से संबद्ध नहीं होंगे या कोई जनसंपर्क नहीं करेंगे या कोई भूमि नहीं करेंगे ।



(7) राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय राज्य में ऐसे स्थान पर होगा, जिसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे और राज्य सूचना आयोग, राज्य सरकार को पूर्व अनुमोदन से, राज्य में अन्य स्थानों पर अपने कार्यालय स्थापित कर सकेगा।

16. पदावधि और सेवा की शर्तें (1) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

परन्तु कोई राज्य मुख्य सूचना आयुक्त पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् उस रूप में पद धारण नहीं करेगा।

(2) प्रत्येक राज्य सूचना आयुक्त उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, पांच वर्ष की अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा और राज्य सूचना आयुक्त के रूप में पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

परन्तु प्रत्येक राज्य सूचना आयुक्त, इस उपधारा के अधीन अपना पद रिक्त करने पर धारा 15 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट रीति से राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा।

परन्तु यह और कि जहां राज्य सूचना आयुक्त की राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति की जाती है, वहां उसकी पदावधि राज्य सूचना आयुक्त और राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में कुल मिलाकर पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(3) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या कोई राज्य सूचना आयुक्त अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल या इस विधि के अंतर्गत राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष पहली अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए उपवर्णित पदों के अनुसार शपथ या प्रतिज्ञा लेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा।

(4) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या कोई राज्य सूचना आयुक्त, किसी भी समय, राज्यपाल को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने पद का त्याग कर सकेगा।

परन्तु राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या किसी राज्य सूचना आयुक्त को धारा 17 में विनिर्दिष्ट रीति से हटाया जा सकेगा।

(5) सेवाय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निर्बंध और शर्तें

(क) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नहीं होगी, जो किसी निर्वाचन आयुक्त की है।

(ख) राज्य सूचना आयुक्त की नहीं होगी, जो राज्य सरकार के मुख्य सचिव की है।

परन्तु कोई राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या कोई राज्य सूचना आयुक्त अपनी नियुक्ति के समय भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी पूर्व सेवा के संबंध में कोई पेंशन, अक्षमता या क्षति पेंशन से विन्यत प्राप्त कर रहा है तो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त के रूप में सेवा के संबंध में उसके वेतन में से उस पेंशन की रकम को, जिसके अंतर्गत पेंशन का ऐसा भाग जिसे संरक्षित किया गया था और सेवानिवृत्ति उपदान के समतुल्य पेंशन को छोड़कर अन्य प्रकार के सेवानिवृत्ति फायदों के समतुल्य पेंशन भी है, कम कर दिया जाएगा।

परन्तु यह और कि जहां राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त, अपनी नियुक्ति के समय, किसी केंद्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी निगम या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वायत्तशासी या निबंधशासी किसी सरकारी कंपनी में की गई किसी पूर्व सेवा के संबंध में सेवानिवृत्ति फायदे प्राप्त कर रहा है वहां राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त के रूप में सेवा के संबंध में उसके वेतन में से सेवानिवृत्ति फायदों के समतुल्य पेंशन की रकम कम कर दी जाएगी।

परन्तु यह और कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों के वेतन, भत्तों और सेवा की अन्य शर्तों में उनकी नियुक्ति के पश्चात् उनके लिए अलग-अलग रूप में परिवर्तन नहीं किया जाएगा।



(अध्याय 4 - राज्य सूचना आयोग 1 अध्याय 5 - सूचना आयोगों की शक्तियाँ और कृत्य, अपील तथा शास्तियाँ )

(6) राज्य सरकार, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों को उतने अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध कराएगा, जिनसे इस अधिनियम के अधीन उनके कृत्यों के पक्ष पालन के लिए आवश्यक हों और इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए नियुक्त किए गए अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के विवरण और शर्तें ऐसी होंगी, जो विहित की जाएँ।

17. राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त का हटाया जाना—(1) उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या किसी राज्य सूचना आयुक्त को राज्यपाल के आदेश द्वारा साक्षित कदाचार या असमर्थता के आधार पर उसके पद से हटाया जाएगा, जब उच्चतम न्यायालय ने, राज्यपाल द्वारा उसे किए गए किसी निर्देश पर जांच के पश्चात् यह रिपोर्ट दी हो कि, यथास्थिति, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त को उस आधार पर हटा दिया जाना चाहिए।

(2) राज्यपाल, उस राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त को, जिसके विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन उच्चतम न्यायालय को निर्देश किया गया है, ऐसे निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की रिपोर्ट की प्राप्ति पर राज्यपाल द्वारा आदेश पारित किए जाने तक, पद से निलंबित कर सकता और यदि आवश्यक समझे तो ऐसी जांच के दौरान आवश्यकता से जासूसी होने से प्रतिबन्धित भी कर सकता।

(3) उपधारा (1) में अतिरिक्त किसी बात की होले हुए भी, राज्यपाल, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या किसी राज्य सूचना आयुक्त को, आदेश द्वारा, पद से हटा सकता, यदि यथास्थिति, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त—

(क) विवादास्पद न्यायानुषंगित किया गया है; या

(ख) वह ऐसे किसी अपराध के लिए जैम्सियाद - उत्तरदाय गया है, जिसमें राज्यपाल की राय में नैतिक अपराध संतर्पित है; या

(ग) वह अपनी पदावधि के दौरान अपने पद के कर्तव्यों से परे किसी वैयक्तिक नियोजन में लग्न हुआ है; या

(घ) राज्यपाल की राय में, मानसिक या शारीरिक अक्षमता के कारण पद पर बने रहने के अयोग्य है; या

(ङ) उसने ऐसे वित्तीय या अन्य हित अर्जित किए हैं, जिनसे, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है।

(4) यदि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या कोई राज्य सूचना आयुक्त, किसी प्रकार, राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से की गई किसी संविदा या करार से सम्बन्ध या उससे हितबन्ध है या किसी निगमित कंपनी के किसी सदस्य को किसी रूप में से अलग-अलग और उसके अन्य सदस्यों के साथ सम्बन्धित, उसके लाभ में या उससे प्रोद्भूत होने वाले किसी फायदे या परिश्रमों को विरस लेता है तो वह उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए कदाचार का दोषी समझा जाएगा।

#### अध्याय 5

#### सूचना आयोगों की शक्तियाँ और कृत्य, अपील तथा शास्तियाँ

18. सूचना आयोगों की शक्तियाँ और कृत्य (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, यथास्थिति, केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य आयोग को यह कर्तव्य होगा कि, वह निम्नलिखित किसी ऐसे व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करे और उसकी जांच करे—

(क) जो, यथास्थिति, किसी केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को, इस कारण से अनुपरोध प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा है कि इस अधिनियम के अधीन ऐसे अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई है या, यथास्थिति, केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी ने इस अधिनियम के अधीन सूचना या अपील के दिरंग भाग 19 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अथवा ज्येष्ठ अधिकारी या, यथास्थिति, केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को उसके आदेश को मंजूर करने के लिए सूचीबद्ध करने से इंकार कर दिया है;

(ख) जिनसे इस अधिनियम के अधीन अनुपरोध की गई कोई जानकारी तक पहुंचने के लिए इंकार कर दिया गया है;

(अध्याय 5-सूचना आयोगों की शक्तियाँ और कृत्र, अपील तथा शक्तियाँ )

(ग) जिसे इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर सूचना के लिए या सूचना तक पहुंच के लिए अनुरोध का उत्तर नहीं दिया गया है ;

(घ) जिससे ऐसी गौरा की रक्षा का संदाय करने की अपेक्षा की गई है, जो वह अनुरोधित समझता है या समझती है ;

(ङ) जो यह विश्वास करता है कि उसे इस अधिनियम के अधीन अपूर्ण, त्रुटि में डालने वाली या मिथ्या सूचना दी गई है ; और

(च) इस अधिनियम के अधीन अनिलेखों के लिए अनुरोध करने या उन तक पहुंच प्राप्त करने से संबंधित किसी अन्य विषय के संबंध में ।

(2) जहां, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग का यह समाधान हो जाता है कि उस विषय में जांच करने के लिए सुकियुक्त आधार है, वहां यह उसके संबंध में जांच आरंभ कर सकेगा ।

(3) यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को, इस धारा के अधीन किसी मांगले में जांच करते समय वही शक्तियाँ प्राप्त होंगी, जो निम्नलिखित मामलों के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन किसी दण्ड का विचारण करते समय सिविल न्यायालय में निहित होती हैं, अर्थात् :-

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और उन्हें उपस्थित करना तथा शपथ पर भीखक या लिखित शपथ देने के लिए और दस्तावेज या चीजे पेश करने के लिए उनको विवश करना ;

(ख) दस्तावेजों के प्रकटीकरण और निरीक्षण की अपेक्षा करना ;

(ग) शासनालय पर साक्ष्य को अनियंत्रण करना ;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतियां मांगना ;

(ङ) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए समन जारी करना ; और

(च) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाए ।

(4) यथास्थिति, संसद या राज्य विधान-मंडल के किसी अन्य अधिनियम में अंतर्दिष्ट किसी असंगत बात के होते हुए भी, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग इस अधिनियम के अधीन किसी शिकायत को जांच करने के दौरान, ऐसे किसी अभिलेख की परीक्षा कर सकेगा, जिसे यह अधिनियम लागू होता है और जो लोक प्रधिकरण के नियंत्रण में है और उसके द्वारा ऐसे किसी अभिलेख को किसी भी आधारों पर रोका नहीं जाएगा ।

19. अपील (1) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसे धारा 7 की उपधारा (1) या उपधारा (3) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर कोई विनिश्चय प्राप्त नहीं हुआ है या जो, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के किसी विनिश्चय से व्यक्ति है, उस व्यक्ति की समाप्ति से या ऐसे किसी विनिश्चय की प्राप्ति से तीस दिन के भीतर ऐसे अधिकारी को अपील कर सकेगा, जो प्रत्येक लोक प्रधिकरण में, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी की पदवि से जोड़त पविता का है :

परन्तु ऐसा अधिकारी, तीस दिन की अवधि की समाप्ति के परभाव अपील को ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलाली समय पर अपील फाइल करने में पर्याप्त कारण से निवारित किया गया था ।

(2) जहां अधीन धारा 11 के अधीन यथास्थिति, किसी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या किसी राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा पर व्यक्ति की सूचना प्रकट करने के लिए किए गए किसी आदेश के विरुद्ध की जाती है वहां संबंधित पर व्यक्ति द्वारा अपील, उस आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर की जाएगी ।

(3) उपधारा (1) के अधीन विनिश्चय के विरुद्ध दुराधी अपील उस तारीख से, जिसको विनिश्चय किया जाना चाहिए था या वास्तव में प्राप्त किया गया था, पहले दिन के भीतर केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को लगेगी :

परन्तु यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग नब्बे दिन की अवधि की समाप्ति के परभाव अपील को ग्रहण कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलाली समय पर अपील फाइल करने से पर्याप्त कारण से निवारित किया गया था ।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

(अध्याय 5 सूचना आयोगों की शक्तियाँ और कार्य, अपील तथा शक्तियाँ)

(4) यदि, यथास्थिति, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी का विनिश्चय, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, पर व्यक्ति की सूचना से संबंधित है तो, यथास्थिति, केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग उस पर व्यक्ति को सुनवाई का सुविधापूर्वक अवसर देगा।

(5) अपील संबंधी किसी कार्यवाही में यह संबंधित करने का मार कि अनुसूच को अस्वीकार करना न्यायोचित या, यथास्थिति, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी पर, जिसने अनुसूच से इंकार किया था, होगा।

(6) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अंतर्गत किसी अपील का निपटारा, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, अपील की प्रतिक्रिया के तीस दिन के भीतर या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर, जो उसके फाइनल किए जाने की तारीख से कुल पचासीस दिन से अधिक न हो, किया जाएगा।

(7) यथास्थिति, केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग का विनिश्चय आबद्धकर होगा।

(8) अपने विनिश्चय में, यथास्थिति, केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को निम्नलिखित की शक्ति है-

(क) लोक प्राधिकरण से ऐसे उपाय करने की अपेक्षा करना, जो इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं :-

(i) सूचना तक पहुंच उपलब्ध करना, यदि विशिष्ट प्रश्न में ऐसा अनुरोध किया गया है;

(ii) यथास्थिति, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को नियुक्त करना;

(iii) कतिपय सूचना या सूचना के प्रदर्शनों को प्रकाशित करना;

(iv) अधिकारियों को अनुपालन, प्रशिक्षण और दिनाश से संबंधित अपनी पद्धतियों में आवश्यक परिवर्तन करना;

(v) अपने अधिकारियों के लिए सूचना के अधिकार के संबंध में प्रशिक्षण के उपबंध को बढ़ाना;

(vi) धारा 4 की उपधारा (1) की संद (घ) के अनुसार अपने एक वार्षिक रिपोर्ट उपलब्ध करना;

(ख) लोक प्राधिकारी से शिकायतकर्ता को, उसके द्वारा साइन की गई किसी हानि या अन्य नुकसान के लिए प्रतिक्रिया करने की अपेक्षा करना;

(ग) इस अधिनियम के अंतर्गत उपबंधित शर्तों में से कोई शक्ति अधिरोपित करना;

(घ) आवेदन को नामंजूर करना।

(9) यथास्थिति, केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग शिकायतकर्ता और लोक प्राधिकारी को, अपने विनिश्चय की, जिसके अंतर्गत अपील का कोई अधिकार भी है, सूचना देगा।

(10) यथास्थिति, केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, अपील का विनिश्चय ऐसी प्रक्रिया के अनुसार करेगा, जो विहित की जाए।

20. शक्ति (1) जहां किसी शिकायत या अपील का विनिश्चय करते समय, यथास्थिति, केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग की यह शक्ति है कि, यथास्थिति, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी ने, किसी सुविधापूर्वक कारण के बिना सूचना के लिए, कोई आवेदन प्राप्त करने से इंकार किया है या धारा 7 की उपधारा (1) के अंतर्गत विनिश्चित समय के भीतर सूचना नहीं दी है या असदभावपूर्ण सूचना के लिए अनुसूच से इंकार किया है या जानबूझकर गलत, अपूर्ण या प्रायिक सूचना दी है या उस सूचना को नष्ट कर दिया है, जो अनुसूच का विषय थी या किसी शक्ति से सूचना देने में बाधा वाली है, तो वह ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जब तक आवेदन प्राप्त किया जाता है या सूचना दी जाती है, दो सौ पचास रुपये की शक्ति अधिरोपित करेगा, तथापि, ऐसी शक्ति की कुल राशि पचास हजार रुपये से अधिक नहीं होगी।

(अध्याय 5-सूचना आयोगों की शक्तियाँ और कृत्य, अपील तथा शक्तियाँ। अध्याय 6-प्रकीर्ण।)

परन्तु यथास्थिति, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को, उस पर कोई शक्ति अधिरोपित किए जाने के पूर्व, सुनवाई का व्यक्तिगत अवसर दिया जाएगा :

परन्तु यह और कि वह सारित करने का भार कि उसने व्यक्तिगत रूप से और तत्परतापूर्वक कार्य किया है, यथास्थिति, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी पर होगा।

(2) जहाँ किसी शिकायत या अपील का विवेचन करते समय, यथास्थिति, केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग की यह शक्ति है कि, यथास्थिति, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, किसी व्यक्तिगत कारण के बिना और लगातार सूचना के लिए कोई आवेदन प्राप्त करने में असफल रहा है या उसने धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचना नहीं दी है या असद्व्यवहारपूर्वक सूचना के लिए अनुरोध से इकार किया है या जानबूझकर गलत, अपूर्ण या भ्रमक सूचना दी है या ऐसी सूचना को नष्ट कर दिया है, जो अनुरोध का विषय थी या किसी विधि से सूचना देने में बाधा डाली है वहाँ वह, यथास्थिति, ऐसे केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध उसे लागू सेवा नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई के लिए सिफारिश करेगा।

#### अध्याय 6

#### प्रकीर्ण

21. **सद्व्यवहारपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण**-कोई कार्य, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी या ऐसी बात के बारे में, जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन सद्व्यवहारपूर्वक की गई है या की जाने के लिए आशयित है, किसी व्यक्ति के विरुद्ध न होगी।

22. **अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना**—इस अधिनियम के उपबंध, शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (1923 का 19) और तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में या इस अधिनियम से अन्यथा किसी विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी लिखित में, उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे।

23. **न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन**-कोई न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी आदेश के संबंध में कोई कार्य, आवेदन या अन्य कार्यवाही प्रारंभ नहीं करेगा और ऐसे किसी आदेश को, इस अधिनियम के अधीन किसी अपील के रूप में के विरुद्ध किसी रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा।

24. **अधिनियम का कतिपय संगठनों को लागू न होना** (1) इस अधिनियम में अंतर्दिष्ट कोई बात, केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित आसूचना और सुलभ संगठनों को, जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है या ऐसे संगठनों द्वारा उस सरकार को दी गई किसी सूचना को लागू नहीं होगी।

परन्तु प्रस्तावित और मान्य अधिकारों के अतिक्रमण के अभिकथनों से संबंधित सूचना इस उपधारा के अधीन अधिरोपित नहीं की जाएगी।

परन्तु यह और कि यदि किसी सूचना मान्यधिकारों के अतिक्रमण के अभिकथनों से संबंधित है तो सूचना, केंद्रीय सूचना आयोग के अनुमोदन के परवाह ही दी जाएगी और धारा 7 में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी सूचना अनुरोध की प्रतिके प्रतिपत्तिस दिन के भीतर दी जाएगी।

(2) केंद्रीय सरकार, राजपत्र में किसी अधिसूचना द्वारा, अनुसूची का उस सरकार द्वारा स्थापित किसी अन्य आसूचना या सुलभ संगठन को उसमें सम्मिलित करने या उसमें पहले से विनिर्दिष्ट किसी संगठन का उससे लोप करने, संशोधन कर शक्य और ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन पर ऐसे संगठन को अनुसूची में, यथास्थिति, सम्मिलित किया गया या उसका उससे लोप किया गया समझा जाएगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।

(4) इस अधिनियम की कोई बात ऐसी आसूचना और सुलभ संगठनों को लागू नहीं होगी, जो राज्य सरकार द्वारा स्थापित ऐसे संगठन हैं, जिन्हें वह सरकार समग्र समय पर, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे।

परन्तु प्रस्तावित और मान्य अधिकारों के अतिक्रमण के अभिकथनों से संबंधित सूचना इस उपधारा के अधीन अधिरोपित नहीं की जाएगी।

परन्तु यह और कि यदि मांगी गई सूचना मानव अधिकारों के अतिक्रमण अभिक्रमों से संबंधित है तो सूचना राज्य सूचना आयोग के अनुमोदन के परवाह ही दी जाएगी और धारा 7 में किसी बात को छोड़ें हुए भी, ऐसी सूचना अनुसूचकों की प्राप्ति के पैतालीस दिनों के भीतर दी जाएगी।

(5) उपधारा (4) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखी जाएगी।

**25. गनीटर करना और रिपोर्ट करना-**(1) यथास्थिति, केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, प्रत्येक वर्ष के अंत के परवाह, यथासाध्यशीघ्रता से उस वर्ष के दौरान इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के संबंध में एक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसकी एक प्रति समुचित सरकार को भेजेगा।

(2) प्रत्येक मंत्रालय या विभाग, अपनी अधिकारिता के भीतर लोक प्राधिकारियों के संबंध में, ऐसी सूचना एकत्रित करेगा और उसे, यथास्थिति, केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को उपलब्ध कराएगा, जो इस धारा के अधीन रिपोर्ट तैयार करने के लिए अपेक्षित है और इस धारा के प्रयोजनों के लिए, उस सूचना को देने तथा अभिलेख रखने से संबंधित ओखाओं का धारण करेगा।

(3) प्रत्येक रिपोर्ट में, उस वर्ष के संबंध में, निराले रिपोर्टें संबंधित हैं, निम्नलिखित के बारे में कथन होगा,

(क) प्रत्येक लोक प्राधिकारी से किए गए अनुरोधों की संख्या;

(ख) ऐसे निदेशनों की संख्या, जहां अपेक्षक अनुरोधों के अनुसरण में दस्तावेजों तक पहुंच के लिए हकदार नहीं थे, इस अधिनियम के वे उपबंध, जिनके अधीन वे निदेशन दिए गए थे और ऐसे समर्थों की संख्या, जब ऐसे उपबंधों का अवलंब लिया गया था;

(ग) पुनर्विचार के लिए, यथास्थिति, केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को निर्दिष्ट की गई अपीलों की संख्या, अपीलों की प्रकृति और अपीलों के निष्कर्ष;

(घ) इस अधिनियम के प्रशासन के संबंध में किसी अधिकारों के विरुद्ध की गई अनुशासनिक कार्रवाई की अभिलेख;

(ङ) इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक लोक प्राधिकारी द्वारा एकत्रित की गई प्रमातों की संख्या;

(च) कोई ऐसे तथ्य, जो इस अधिनियम की भावना और आशय को प्रसारित और कार्यान्वित करने के लिए लोक प्राधिकारियों के किसी प्रयास को उपदीर्घत करते हैं;

(छ) सूचारु के लिए सिफारिशें, जिनके अंतर्गत इस अधिनियम या अन्य विधान या सामान्य विधि के विकास, समुन्नति, आधुनिकीकरण, सुधार या संशोधन के लिए शिक्षित लोक प्राधिकारियों के संख्या में सिफारिशें या सूचना तक पहुंच के अधिकार को प्रवर्धनीय बनाने से सुसंगत कोई अन्य विषय भी है।

(4) यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष के अंत के परवाह, यथासाध्यशीघ्रता से, उपधारा (1) में निर्दिष्ट, यथास्थिति, केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग की रिपोर्ट की एक प्रति संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष या जहां राज्य विधान मंडल के दो सदन हैं, तब प्रत्येक सदन के समक्ष और जहां राज्य विधान-मंडल का एक सदन है वहां उस सदन के समक्ष रखवाएगी।

(5) यदि केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को ऐसा प्रतीत होता है कि इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्य का प्रयोग करने के संबंध में किसी लोक प्राधिकारी की पद्धति इस अधिनियम के उपबंधों या भावना के अनुसूचकों की प्राप्ति के लिए उपाय विनिर्दिष्ट करने हुए, जो उसकी दृष्टि में ऐसी अनुसूचकों को बढ़ाने के लिए किए जाने चाहिए, सिफारिश कर सकेगी।

**26. समुचित सरकार द्वारा कार्यक्रम तैयार किया जाना-** (1) समुचित सरकार, विधायी और अन्य संसाधनों की उपलब्धता की सीमा तक

(क) जनता की विशेष रूप से उपेक्षित समुदायों की इस बारे में समझ की वृद्धि करने के लिए कि इस अधिनियम के अधीन अनुमानित अधिकारों का प्रयोग कैसे किया जाए शैक्षिक कार्यक्रम बना सकेगी और कार्यान्वित कर सकेगी;

(ख) लोक प्राधिकारियों को, संसद (क) में निर्दिष्ट कार्यक्रमों को बनाने और उनके आयोजन में भाग लेने और ऐसे कार्यक्रमों का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित कर सकेगी;

(ग) लोक प्राधिकारियों द्वारा उनके क्रियाकलापों के बारे में सही जानकारी का समय से और प्रभावी रूप में प्रसारित किए जाने को बढ़ावा दे सकेगी ;

(घ) लोक प्राधिकरणों के, क्यास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों या राज्य लोक सूचना अधिकारियों को प्रशिक्षित कर सकेगी और लोक प्राधिकरणों द्वारा स्वयं के उपयोग के लिए सुरंगत प्रशिक्षण सामग्रियों का उत्पादन कर सकेगी ।

(2) समुचित सरकार इस अधिनियम के प्रावण से अतारह भाग के भीतर अपनी राजभाषा में, सहज व्यापक रूप और शैति से ऐसी सूचना वाली एक मार्गदर्शिका संकलित करेगी, जिसकी ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा युक्तियुक्त रूप में अपेक्षा की जाए, जो अधिनियम में विनिर्दिष्ट किसी अधिकार का प्रयोग करना चाहता है ।

(3) समुचित सरकार, यदि आवश्यक हो तो, उपधारा (2) में निर्दिष्ट मार्गदर्शी सिद्धांतों को नियमित अंतरालों पर अद्यतन और प्रकाशित करेगी, जिनमें विशिष्टतया और उपधारा (2) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने विना निम्नलिखित सम्मिलित होयः

(क) इस अधिनियम के उद्देश्य ;

(ख) भाग 5 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त प्रत्येक लोक प्राधिकरण के, क्यास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी का ठाक और पत्ती का पता, फोन और फीक्स नंबर और यदि उपलब्ध हो तो उसका इलेक्ट्रॉनिक ढाक पता ;

(ग) का शैति और प्ररूप, जिसमें, क्यास्थिति, किसी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी से किसी सूचना तक पहुँच का अनुरोध किया जाएगा ;

(घ) इस अधिनियम के अधीन लोक प्राधिकरण के, क्यास्थिति, किसी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी से उपलब्ध सहायता और उसके ढाक्य ;

(ङ) क्यास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग से उपलब्ध सहायता ;

(च) इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त या अधिलेखित किसी अधिकार या कर्तव्य के संबध में कोई कर्द करने या करने में असाफल्य करने के बारे में विधि में उपलब्ध सभी उपधारा, जिनके अंतर्गत आयोग को अपील फाइल व ले की शैति भी है ;

(छ) भाग 4 के अनुसार अधिलेखों के प्रकाश के लैखिक प्रकटन को लिए प्रावधान करने वाले उपधय ;

(ज) किसी सूचना तक पहुँच के लिए अनुरोधों के संबध में सतत की जाने वाली फीसों से संबधित सुवन्ध ; और

(झ) इस अधिनियम के अनुसार किसी सूचना तक पहुँच प्राप्त करने के संबध में बनाए गए या जारी किए गए अरुं अधिलेखित अधिनियम का प्रावधान ।

(4) समुचित सरकार को, यदि आवश्यक हो, नियमित अंतरालों पर मार्गदर्शी सिद्धांतों को अद्यतन और प्रकाशित करना चाहिए ।

27. नियम बनाने की समुचित सरकार की शक्ति: (1) समुचित सरकार इस अधिनियम के उपधयों को कार्यान्वित करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्णगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने विना, ऐसे नियम निम्नलिखित रूपों या किसी नियम के लिए उपधय कर सकेगी, अर्थात् :-

(क) भाग 4 की उपधारा (4) के अधीन प्रकाशित की जाने वाली सामग्रियों की माध्यम की लागत या दिना उत्पादक मुल्य ;

(ख) भाग 5 की उपधारा (1) के अधीन संदेश फीस ;

(ग) भाग 7 की उपधारा (1) और उपधारा (5) के अधीन संदेश फीस ;

(घ) भाग 13 की उपधारा (6) और भाग 16 की उपधारा (क) के अधीन अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेश देलन और मते तथा उनकी सेवा के विनयन और शर्तें ;

(ख) धारा 19 की उपधारा (10) के अधीन अपीलों का विनिरुधय करते समय, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग द्वारा अपनार्इ जाने वाली प्रक्रिया ;

(घ) कोई अन्य नियम, जो विहित किए जाने के लिए अपेक्षित हो या विहित किया जाए ।

**28. नियम बनाने की सक्षम प्राधिकारी की शक्ति-** (1) सक्षम प्राधिकारी, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगा ।

(2) विधिपरकता और पूर्णगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किसी नियम के लिए उपबंध कर सकेगे, अर्थात् :-

(i) धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन प्रसारित की जाने वाली सामग्रियों के माध्यम की लागत या प्रिन्ट लागत मुक्त ;

(ii) धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन संदेश फीस ;

(iii) धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन संदेश फीस ; और

(iv) कोई अन्य नियम, जो विहित किए जाने के लिए अपेक्षित हो या विहित किया जाए ।

**29. नियमों का रखा जाना** (1) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह ऐसी कुल तीस दिन की अवधि के लिए सत्र में हो, जो एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकती है, रखा जाएगा और यदि उस सत्र के दो प्रत्येक आनुक्रमिक सत्रों के बीच बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाए या दोनों सदन इस बात से सहमत हो जाए कि ऐसा नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो ऐसा नियम तत्पश्चात्, यथास्थिति, जंमल ऐसे उपलब्धित रूप में ही प्रभावी होगा या उसका कोई प्रभाव नहीं होगा । तथापि, उस नियम के ऐसे उपलब्धित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिवानुसृत पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(2) इस अधिनियम के अधीन किसी राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम अधिसूचित किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखा जाएगा ।

**30. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति-** (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध बना सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, जो उसे कठिनाई को दूर करने लिए आवश्यक और समीचीन प्रतीत होते हों ।

परन्तु कोई ऐसा आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

**31. निरसन-सूचना संहिता अधिनियम, 2002 (2003 का 5) इसके द्वारा निररित किया जाता है ।**

पहली अनुसूची

[घारा 13(3) और घारा 16(3) देखिए]

मुख्य सूचना आयुक्त/सूचना आयुक्त/राज्य मुख्य सूचना आयुक्त/राज्य सूचना आयुक्त द्वारा ली जाने वाली शपथ या किए जाने वाले प्रतिज्ञान का प्ररूप

मैं, \_\_\_\_\_ जो मुख्य सूचना आयुक्त/सूचना आयुक्त/राज्य मुख्य सूचना आयुक्त/राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ।  
मैं सविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और विश्वास रखूंगा, मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा मैं सम्यक् प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुसरण या द्वेष के बिना पालन करूंगा तथा मैं सविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा।"



दूसरी अनुसूची  
(घाटा 24 देखिए)

केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित आसूचना और सुरक्षा संगठन

1. आसूचना ब्यूरो ।
2. मिनिस्ट्रल सचिवालय के अनुसंधान और विरलेषण सेंटर ।
3. राजस्व आसूचना निदेशालय ।
4. केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो ।
5. प्रसारण निदेशालय ।
6. रक्षात्मक नियंत्रण ब्यूरो ।
7. वैमानिक अनुसंधान केंद्र ।
8. विशेष सीमान्त बल ।
9. सीमा सुरक्षा बल ।
10. केन्द्रीय आरक्षित पुलिस बल ।
11. माता-निम्नत सीमा बल ।
12. केन्द्रीय औसौगिक सुरक्षा बल ।
13. राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ।
14. अराण सट्टमप्लस ।
15. राजस्व सीमा बल ।
16. आम कर महानिदेशालय (अ-वेक्षण) ।
17. राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन ।
18. वितीय आसूचना यूनिट, भारत ।
19. विशेष शस्त्रा युव ।
20. रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ।
21. सीमा सड़क विकास बोर्ड ।
22. राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय ।

Ministry of Home Affairs  
LIBRARY  
Acc. No. 2012-9-13268  
Date... 9/8/2012...

14 AUG 2016  
PQ-2571

विक्रेता: (1) प्रकाशन और विपणन प्रकाशन, विधि साहित्य प्रकाशन, भारत सरकार, भारतीय विधि संस्थान भवन,  
भयवार्ताकमल रोड, नई दिल्ली 110 001.  
(2) प्रकाशन नियंत्रक, भारत सरकार, सिविल लाईन्स, दिल्ली 110 054.

भारत सरकार  
विधि और न्याय मंत्रालय  
GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF LAW AND JUSTICE



# सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

(2005 का अधिनियम संख्यांक 22)  
[1 फरवरी, 2011 को यथाविद्यमान]

## Right to Information Act, 2005

(Act No. 22 of 2005)  
[As modified up to 1st February, 2011]

2011

महाप्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली-110 002 द्वारा मुद्रित तथा  
प्रकाशन-नियंत्रक, भारत सरकार, सिविल लाईन्स, दिल्ली-110 054 द्वारा प्रकाशित।

मूल्य : (देश में) : ₹ 23.00; (विदेश में) £ 0.33 या \$ 0.47